

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 1984/माघ 18, 1905
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 1984/MAGHA 18, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
आयात व्यापार निरंतरण
गार्वजतिक सूचना सं० 8-आईटीसी(पीएन)/84
नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1984

विषय —अप्रैल, 1983—मार्च, 1984 के लिए आयात-निर्यात नीति ।

विमिश सं० आई पी सी/4/10(1)/86/83-84 —वाणिज्य मंत्रालय की मार्गजतिक सूचना
संख्या 10 आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 15 अप्रैल, 1983 के अधीन प्रकाशित अप्रैल, 83-
मार्च, 84 के लिए आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

1. निम्नलिखित संशोधन नीति में किए गए समझे जाएंगे ।

क्रम सं० आयात-निर्यात नीति, सन्दर्भ संशोधन
1983-84 (खण्ड 1) की
पृष्ठ सं०

1	2	3	4
(1)	119	परिशिष्ट 4	वर्तमान प्रविष्टि सं० 7 क के बाव निम्न- लिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :— "7-ख पशु रनेट"

3. इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 2 में उल्लिखित इस मद का आयात पहले से जारी किए गए किसी आयात लाइसेंस या आयात-नियंत्रण नीति (प्रति 1) 1983-84 के किसी अन्य प्रावधान के अधीन अनुमति नहीं किया जाएगा। केवल इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से पहले ही मूल देश से किए गए पोतनवतों के मद्दे आयात अनुमति होगा।

प्र० च० जैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

PUBLIC NOTICE No. 8-ITC(PN)/84

New Delhi, the 7th February, 1984

Subject :—Import & Export Policy for April 1983—March 1984.

File No. IPC/4/10(1)/86/83-84:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1983—March 1984, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 10-ITC(PN)/83 dated the 15th April, 1983.

2. The following amendment shall be deemed to have been made in the Policy :—

Sr. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1983-84 (Vol. I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
(1)	119	Appendix 4	After the existing entry No. 7A, the following new entry shall be inserted :— “7B. Animal Rennet”

3. Import of this item referred to in para 2 of this Public Notice shall not be allowed under any import licence already issued or under any other provision of the Import & Export Policy, 1983-84 (Vol. I) except against shipments from the country of origin already effected before the date of this Public Notice.

P.C. JAIN,
Chief Controller of Imports & Exports